बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

संख्याः–1प/स्था०–04–19/2018/15836/प०रा० पटना, दिनांक 15/12/2023

भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**– (1) यह नियमावली, "**बिहार पंचायत सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023**" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. **बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010 के नियम–2 में संशोधन।**–उक्त नियमावली, 2010 के नियम–2 में निम्नलिखित पंक्ति जोड़ा जायेगा :–

"2. (xx) "अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी" से अभिप्रेत है जिला स्तर पर पदस्थापित अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी;

(xxi) "अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी" से अभिप्रेत है जिला स्तर पर पदस्थापित अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी;

3. **बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010 के नियम–3 में संशोधन।**– उक्त नियमावली, 2010 के नियम को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है:–

"3. बिहार पंचायत सेवा की संवर्ग संरचना निम्नानुसार होगी।

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान/वेतनस्तर	पदों की संख्या
1.	प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी	5000–8000 लेवल –7	716
2.	व्याख्याता	6500–10500 लेवल –7	104
3.	(क) अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी	8000–13500 लेवल –8	38
	(ख) अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्	8000–13500 लेवल –8	38
4.	(क) जिला पंचायत राज पदाधिकारी–सह–प्राचार्य	10000–15200 लेवल –9	38
	(ख) प्राचार्य + सहायक निदेशक, राज्य स्तरीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान	10000–15200 लेवल –9	04(1+3)

4. बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010 के नियम–4 में संशोधन–उक्त नियमावली, 2010 के नियम–4 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाना हैः–

"4. इस संवर्ग का स्वीकृत बल/वेतन स्तर वही होगा जैसा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।"

5. बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010 के नियम–7 में संशोधन–उक्त नियमावली, 2010 के नियम–7 के उप नियम (4) को विलोपित समझा जायेगा।

6. बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010 में उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप बिहार पंचायत सेवा संवर्ग का संरचना निम्नानुसार होगी :–

क्र०सं०	कोटि का नाम	स्तर
1.	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी	मूल कोटि
2.	व्याख्याता, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान	प्रथम प्रोन्नति स्तर
3.	(क) अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी (ख) अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्	द्वितीय प्रोन्नति स्तर
4.	जिला पंचायत राज पदाधिकारी–सह–प्राचार्य/प्राचार्य/सहायक निदेशक, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान	तृतीय प्रोन्नति स्तर

7. बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010 एवं अधिसूचना संख्या–11040 दिनांक 13.10.2023 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/- 14/12/'23

(मिहिर कुमार सिंह)

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–1प/स्था०–04–19/2018/15836/प०रा० पटना, दिनांक 15/12/2023

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

उनसे अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना की एक हजार प्रतियाँ पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

ह०/- 14/12/'23

(मिहिर कुमार सिंह)

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः—1प/स्था०—04—19/2018/15836/प०रा० पटना, दिनांक 15/12/2023
प्रतिलिपिः—मुख्य सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायती राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी प्राचार्य, जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान को सूचनार्थ प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः—1प/स्था०—04—19/2018/15836/प०रा० पटना, दिनांक 15/12/2023
प्रतिलिपिः—सचिव, बिहार विधान परिषद्/सचिव, बिहार विधान सभा/मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/निबंधक, पटना उच्च न्यायालय/महाधिवक्ता, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः—1प/स्था०—04—19/2018/15836/प०रा० पटना, दिनांक 15/12/2023
प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः—1प/स्था०—04—19/2018/15836/प०रा० पटना, दिनांक 15/12/2023
प्रतिलिपिः—आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।

(मिहिर कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव